न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 9/2022 (डूंगरपुर डिक्री)

1. देवीसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत, निवासी पाडला हाण्डलीया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. परबतसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत, निवासी पाडला हाण्डलीया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. रामसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत, निवासी पाडला हाण्डलीया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. वीरसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत, निवासी पाडला हाण्डलीया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. श्रीमती सज्जन कुंवर पत्नी खुमाणसिंह राजपूत, निवासी पाडला हाण्डलीया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
6. तेजसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत, निवासी पाडला हाण्डलीया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती गीता देवी पत्नी उद्धवकांत रोत, निवासी पाडला हाण्डलीया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. भूमिधारी राज्य जरिये तहसीलदार, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा
दिनांक 16.03.2022 प्र.सं. 36/2020

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– श्री राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय दिनांक 27–09–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 251–ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 51/53 की आराजी नंबर 271 कुल किता 1 रकबा 0.3155 हैक्टर भूमि मौजा पाडला हाण्डलिया में स्थित है, जिसमें वादिया का मकान भी बना हुआ है। प[illegible] संख्या 1 से 6 की खातेदारी भूमि खाता संख्या 166/154 कुल खसरे 28 कुल रकबा 4.5208 हैक्टर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:20 IST
Reason: SelfAttested

वादिया एवं अन्य काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खाते की आराजी नंबर 290 व प्रतिवादी संख्या 6 की आराजी नंबर 291 से अपनी भूमि पर करीब 60–70 वर्षो से आते जाते हैं, जहां पुराना रास्ता भी था, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त रास्ते को बन्द कर दिया गया है, जिससे वादिया अपने खाते की भूमि पर काश्त करने नहीं जा पा रही है। अतः आराजी नंबर 290 व 291 में से 20 फिट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 271 तक दिलाये जाने की घोषणा की जावे। प्रार्थीया डी.एल.सी. दर से क्षतिपूर्व अदा करने को तैयार है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 2 तनकियात कायम की एवं अपने निर्णय दिनांक 16–03–2022 से वादिया का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–07–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 29–06–2022 को पटवारी हल्का से उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी होने के बाद अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी शुरू से थी, जानबूझकर अपील देरी से प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील इसी आधार पर खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2017 (1) Page 117, RRT 2017 (1) Page 711, RRT 2018 (1) Page 188 प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि खसरा नंबर 290 व 291 में रास्ता होने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:20 IST
Reason: SelfAttested

कोई स्वतंत्र साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं है, न ही मौके पर कोई पुराना रास्ता है। तहसीलदार एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार आराजी नंबर 260, 270 एवं 268 से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के मकान में जाने का रास्ता है। जब वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो फिर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि से रास्ता एकतरफा कार्यवाही कर क्यों दिया गया है। आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में एकतरफा बहस समायत की गयी है, किन्तु निर्णय में वकील अपीलान्ट की उपस्थिति दर्शायी गयी है। वकील की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि रेस्पोन्डेन्ट/वादिया के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे कीमत 20 फिट रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2022 (1) Page 177, RBJ 2019 Page 147 प्रस्तुत की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 11–10–2021 एवं उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे में रेस्पोन्डेन्ट/वादिया के खाते की आराजी नंबर 271 पर आने–जाने हेतु अपीलान्टगण की खाते की आराजी नंबर 290 व 291 में लाल रंग से रास्ते को दर्शा रखा है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर दोनों तनकियों का विवेचन रेस्पोन्डेन्ट/वादिया के पक्ष में करते हुए उसे आराजी नंबर 290 व 291 में से 20 फिट चौड़ा रास्ता बाजार दर पर दिये जाने का आदेश दिया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–03–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 27–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:20 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

देवीसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत, निवासी पाडला हाण्डलीया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य

बनाम

श्रीमती गीतादेवी पत्नी उद्धवकांत रोत, निवासी पाडला हाण्डलीया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य

अपील नं.....**09 / 2022**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सागवाड़ा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**16**.....माह.....**03**.....**2022**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**....माह.....**09**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मनीष शर्मा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री संजय बोहरा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–03–2022 यथावत रखी जाती है।** .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**09**.....**2023** को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:20 IST
Reason: SelfAttested